

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 23, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. 7290-435-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३३ सन् २०११

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक- ४ ) अधिनियम, २०११

[ दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०११ है.

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के लिये राज्य की संचित निधि में से ३५,९०,११,९७,००० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार पांच सौ नब्बे करोड़ ग्यारह लाख सन्तानबे हजार रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्ये और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ७,१५,५८,०००	२,०७,०५,०००	९,२२,६३,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ९,००,००० पूँजी ३,८९,००,०००	० ०	९,००,००० ३,८९,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व ५,९३,४५,१०० पूँजी ३,२५,००,१००	० ०	५,९३,४५,१०० ३,२५,००,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व पूँजी	१,५३,७५,३०० ६०,००,०००	० ०	१,५३,७५,३०० ६०,००,०००
०६.	वित्त	राजस्व	२००	१,००,०००	१,००,२००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व पूँजी	६०,००,००,००० ७०,००,०००	० ०	६०,००,००,००० ७०,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	६,६२,११,०००	६,५०,०००	६,६८,६१,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	९६,१९,०००	०	९६,१९,०००
१०.	वन	राजस्व	६९,२५,००,०००	०	६९,२५,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	५८,८६,१७,५००	१,२६,००,०००	६०,१२,१७,५००
१२.	ऊर्जा	राजस्व पूँजी	१,२६,३५,००,००० ६,५०,००,००,०००	० ०	१,२६,३५,००,००० ६,५०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	७६,९८,७२,०००	०	७६,९८,७२,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	५,१३,६९,०००	२५,५०,०००	५,३९,१९,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	८,७३,३४,०००	०	८,७३,३४,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	१४,५३,१०,०००	०	१४,५३,१०,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१७. सहकारिता	राजस्व	१,०७,७०,९२,०००	०
	पूँजी	१,८५,०५,००,०००	०
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	६७,६३,१२,८००	०
	पूँजी	१,००,०००	०
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	८०,००,०००	०
	पूँजी	४२,५०,००,२००	०
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	४,७७,०५,०००	०
	पूँजी	१,९५,२४,०००	०
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व	२,९७,२९,७००	०
२३. जल संसाधन	राजस्व	१७,२२,००,०००	०
	पूँजी	१,१०,१५,००,०००	०
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	२,४०,२२,००,०००	०
	पूँजी	१,००,००,००,०००	७०,००,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	२०,००,०००	६२,४४,८५,५००
			६२,६४,८५,५००
२६. संस्कृति	राजस्व	५,५९,४१,७००	०
			५,५९,४१,७००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	५,००,०००	०
			५,००,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	१,९८,०००	०
			१,९८,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१२,३९,५३,१००	१,५६,२८,१००
			१३,९५,८१,२००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
	पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	६६,३३,०००	०	६६,३३,०००
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	२,३१,२७,०००	०	२,३१,२७,०००
३४. सामाजिक न्याय	राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
३७. पर्यटन	राजस्व	९,६५,०२,०००	०	९,६५,०२,०००
३८. आयुष	राजस्व	५१,३५,४००	०	५१,३५,४००
	पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१,१७,७८,४६,२००	०	१,१७,७८,४६,२००
४०. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	राजस्व	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	७९,१४,६०,८००	०	७९,१४,६०,८००
	पूंजी	९२,४७,७१,१००	०	९२,४७,७१,१००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी	२५,००,००,२००	०	२५,००,००,२००
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	२३,९६,०४,०००	०	२३,९६,०४,०००
	पूंजी	४,३८,००,०००	०	४,३८,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	६०,००,०००	०	६०,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	४,५०,००,०००	०	४,५०,००,०००
		पूंजी	१,१५,००,०५,९००	०	१,१५,००,०५,९००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	१,०४,३३,०००	०	१,०४,३३,०००
		पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	३९,१३,०३,०००	०	३९,१३,०३,०००
		पूंजी	२४,६३,६७,०००	०	२४,६३,६७,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	५,३२,००,०००	०	५,३२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,२३,७९,०००	०	१,२३,७९,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	७,५९,९८,५००	०	७,५९,९८,५००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व.	राजस्व	३,८६,०००	०	३,८६,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४१,३८,३४,०००	०	४१,३८,३४,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१५,१०,००,०००	०	१५,१०,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	८१,८०,००,०००	०	८१,८०,००,०००
		पूंजी	४,००,०००	०	४,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व १००	० १००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ५,००,००० पूँजी २२,५०,०००	० ५,००,००० ० २२,५०,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व २,५९,०००	० २,५९,०००
६३.	अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व १,०७,००,००० पूँजी १,१२,५०,०००	० १,०७,००,००० ० १,१२,५०,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व ४८,४८,७२,४०० पूँजी १,६२,७८,५२,३००	० ४८,४८,७२,४०० ० १,६२,७८,५२,३००
६५.	विमानन	राजस्व ३,५१,५०,०००	० ३,५१,५०,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व ३१,३७,००,००० पूँजी ५,००,००,०००	० ३१,३७,००,००० ० ५,००,००,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व १,००,००,००० पूँजी १००	० १,००,००,००० ० १००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व ६,९३,८४,००० पूँजी १,००,००,०००	० ६,९३,८४,००० ० १,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व ४,६४,४२,०००	० ४,६४,४२,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ८१,३२,६०,०००	० ८१,३२,६०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,०२,८८,२३,३००	८६,००,००,०००	१,८८,८८,२३,३००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	५८,०९,८१,०००	२५,००,०००	५८,३४,८१,०००
	योग :	राजस्व	१८,१८,६०,५७,२००	१,५३,९२,१८,६००	१९,७२,५२,७५,८००
		पूंजी	१५,४७,५९,२१,२००	७०,००,००,०००	१६,१७,५९,२१,२००
	वृहद् योग :		३३,६६,१९,७८,४००	२,२३,९२,१८,६००	३५,९०,११,९७,०००

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. 7291-435-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.



## MADHYA PRADESH ACT

No. 33 OF 2011.

## THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 13th December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th December, 2011.]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the Services of the Financial Year 2011-2012.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty Second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2011.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of **Three thousand five hundred ninety crore eleven lakhs ninety seven thousand** rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2011-2012 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 35,90,11,97,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2011-2012.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

## THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
01.	General Administration			
	Revenue	7,15,58,000	<b>2,07,05,000</b>	9,22,63,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	9,00,000	<b>0</b>	9,00,000
	Capital	3,89,00,000	<b>0</b>	3,89,00,000
03.	Police			
	Revenue	5,93,45,100	<b>0</b>	5,93,45,100
	Capital	3,25,00,100	<b>0</b>	3,25,00,100
04.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	1,53,75,300	<b>0</b>	1,53,75,300
	Capital	60,00,000	<b>0</b>	60,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
06.	Finance	Revenue	200	<b>1,00,000</b>	1,00,200
07.	Commercial Tax	Revenue	60,00,00,000	<b>0</b>	60,00,00,000
		Capital	70,00,000	<b>0</b>	70,00,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	6,62,11,000	<b>6,50,000</b>	6,68,61,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	96,19,000	<b>0</b>	96,19,000
10.	Forest	Revenue	69,25,00,000	<b>0</b>	69,25,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	58,86,17,500	<b>1,26,00,000</b>	60,12,17,500
12.	Energy	Revenue	1,26,35,00,000	<b>0</b>	1,26,35,00,000
		Capital	6,50,00,00,000	<b>0</b>	6,50,00,00,000
13.	Farmers Welfare and Agriculture Development.	Revenue	76,98,72,000	<b>0</b>	76,98,72,000
14.	Animal Husbandry	Revenue	5,13,69,000	<b>25,50,000</b>	5,39,19,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub Plan	Revenue	8,73,34,000	<b>0</b>	8,73,34,000
16.	Fisheries	Revenue	14,53,10,000	<b>0</b>	14,53,10,000
17.	Co-operation	Revenue	1,07,70,92,000	<b>0</b>	1,07,70,92,000
		Capital	1,85,05,00,000	<b>0</b>	1,85,05,00,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	67,63,12,800	<b>0</b>	67,63,12,800
		Capital	1,00,000	<b>0</b>	1,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
20. Public Health Engineering	Revenue	80,00,000	0	80,00,000
	Capital	42,50,00,200	0	42,50,00,200
21. Housing and Environment	Revenue	4,77,05,000	0	4,77,05,000
	Capital	1,95,24,000	0	1,95,24,000
22. Urban Administration and Development-Urban Bodies	Revenue	2,97,29,700	0	2,97,29,700
	Capital			
23. Water Resources Department	Revenue	17,22,00,000	0	17,22,00,000
	Capital	1,10,15,00,000	0	1,10,15,00,000
24. Public Works-Roads and Bridges	Revenue	2,40,22,00,000	0	2,40,22,00,000
	Capital	1,00,00,00,300	70,00,00,000	1,70,00,00,300
25. Mineral Resources	Revenue	20,00,000	62,44,85,500	62,64,85,500
	Capital			
26. Culture	Revenue	5,59,41,700	0	5,59,41,700
	Capital			
27. School Education (Primary Education).	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
	Capital			
28. State Legislature	Revenue	1,98,000	0	1,98,000
	Capital			
29. Law and Legislative Affairs	Revenue	12,39,53,100	1,56,28,100	13,95,81,200
	Capital			
30. Rural Development	Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
	Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
31. Planning Economics and Statistics	Revenue	66,33,000	0	66,33,000
	Capital			
33. Tribal Welfare	Revenue	2,31,27,000	0	2,31,27,000
	Capital			
34. Social Justice	Revenue	1,00,00,100	0	1,00,00,100
	Capital			

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
37.	Tourism	Revenue	9,65,02,000	0	9,65,02,000
38.	Ayoush	Revenue	51,35,400	0	51,35,400
		Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	1,17,78,46,200	0	1,17,78,46,200
40.	Expenditure pertaining to Water Resources Department-Command Area Development	Revenue	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	79,14,60,800	0	79,14,60,800
		Capital	92,47,71,100	0	92,47,71,100
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	25,00,00,200	0	25,00,00,200
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	23,96,04,000	0	23,96,04,000
		Capital	4,38,00,000	0	4,38,00,000
44.	Higher Education	Revenue	60,00,000	0	60,00,000
45.	Minor Irrigation Works	Revenue	4,50,00,000	0	4,50,00,000
		Capital	1,15,00,05,900	0	1,15,00,05,900
46.	Science and Technology	Revenue	1,04,33,000	0	1,04,33,000
		Capital	50,00,000	0	50,00,000
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	39,13,03,000	0	39,13,03,000
		Capital	24,63,67,000	0	24,63,67,000
48.	Narmada Valley Development	Capital	5,32,00,000	0	5,32,00,000
49.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	1,23,79,000	0	1,23,79,000
50.	Horticulture and Food Processing.	Revenue	7,59,98,500	0	7,59,98,500

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	3,86,000	0	3,86,000
52.	Financial assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	41,38,34,000	0	41,38,34,000
54.	Agricultural Research and Education	Revenue	15,10,00,000	0	15,10,00,000
55.	Women and Child Development	Revenue	81,80,00,000	0	81,80,00,000
		Capital	4,00,000	0	4,00,000
56.	Rural Industry	Revenue	100	0	100
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
		Capital	22,50,000	0	22,50,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Revenue	2,59,000	0	2,59,000
63.	Minority Welfare	Revenue	1,07,00,000	0	1,07,00,000
		Capital	1,12,50,000	0	1,12,50,000
64.	Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	48,48,72,400	0	48,48,72,400
		Capital	1,62,78,52,300	0	1,62,78,52,300
65.	Aviation	Revenue	3,51,50,000	0	3,51,50,000
67.	Public Works-Buildings	Revenue	31,37,00,000	0	31,37,00,000
		Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
69.	Information Technology	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
		Capital	100	0	100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.			
	Revenue	6,93,84,000	0	6,93,84,000
	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
73.	Medical Education Department			
	Revenue	4,64,42,000	0	4,64,42,000
74.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	81,32,60,000	0	81,32,60,000
75.	Financial assistance to Urban bodies.			
	Revenue	1,02,88,23,300	86,00,00,000	1,88,88,23,300
77.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	58,09,81,000	25,00,000	58,34,81,000
	<b>Total</b> ..			
	{ Revenue ..	18,18,60,57,200	1,53,92,18,600	19,72,52,75,800
	{ Capital ..	15,47,59,21,200	70,00,00,000	16,17,59,21,200
	<b>Grand Total</b> ..	33,66,19,78,400	2,23,92,18,600	35,90,11,97,000